

बिहार सरकार
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
अधिसूचना

संख्या- वि०प्रा०(III) स्था०(नियमावली)-25/2022

3789

पटना, दिनांक- 11/10/23

भारतीय-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय क्षेत्र के राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों, राजकीय पोलिटेकनिक/महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में प्रयोगशाला सहायक (तकनीकी) संवर्ग में नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों के गठन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। -

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ। - (1) यह नियमावली "राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान, प्रयोगशाला सहायक (तकनीकी) संवर्ग नियमावली, 2023" कही जा सकेगी।
 2. इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में बिहार सरकार के विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीनस्थ राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों/राजकीय पोलिटेकनिक, एवं राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों तक रहेगा।
 3. यह तुरंत प्रवृत्त होगा।
2. परिभाषाएँ। - इस नियमावली में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो-
- (i) "संवर्ग" से अभिप्रेत है नियम-4 में यथावर्णित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान, प्रयोगशाला सहायक (तकनीकी) संवर्ग,
 - (ii) "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार
 - (iii) "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार तकनीकी सेवा आयोग
 - (iv) "निदेशालय" से अभिप्रेत है विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय,
 - (v) "विभाग" से अभिप्रेत है विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना,
 - (vi) "समिति" से अभिप्रेत है विभाग द्वारा गठित विभागीय प्रोन्नति समिति,
 - (vii) "सीधी नियुक्ति" से अभिप्रेत है बिहार तकनीकी सेवा आयोग की अनुशंसा पर की जाने वाली नियुक्ति,
 - (viii) "संवर्ग के सदस्य" से अभिप्रेत है इस नियमावली के उपबंधों के अधीन बिहार राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों तथा राजकीय पोलिटेकनिक/ राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों के लिए राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान, प्रयोगशाला सहायक (तकनीकी) संवर्ग में नियुक्त एवं शामिल व्यक्ति,
 - (ix) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है निदेशक, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
 - (x) "रिक्ति" से अभिप्रेत है सेवा में नये पदों के सृजन, सेवा निवृत्ति, मृत्यु, सेवा से हटाये जाने और पदच्युत किये जाने के फलस्वरूप वर्ष की 1ली अप्रैल को उपलब्ध रिक्ति।
 - (xi) "वर्ष" से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष अर्थात् पहली अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि।

3. स्वीकृत बल। - इस संवर्ग का स्वीकृत बल समय-समय पर सरकार द्वारा विनिश्चित की जायेगी।

4. राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में प्रयोगशाला सहायक (तकनीकी) सेवा संवर्ग हेतु संवर्गीय संरचना :-

4.1 संवर्ग के पद के लिए शैक्षणिक तथा अन्य अनिवार्य योग्यता/अर्हता निम्नवत होगी -

क्रम सं०	पदनाम	प्रास्थिति एवं प्रोन्नति का स्तर	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता/अर्हता
1	प्रयोगशाला सहायक (तकनीकी)	मूल कोटि (अराजपत्रित)	शैक्षणिक योग्यता- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा नियमित कोर्स (Non distance mode) में निर्गत प्रसांगिक अथवा समकक्ष अभियंत्रण शाखा में तीन वर्षीय डिप्लोमा। अथवा विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अथवा Deemed/Deemed to be University द्वारा नियमित कोर्स (Non distance mode) में प्रसांगिक अथवा समकक्ष अभियंत्रण शाखा में तीन वर्षीय डिप्लोमा।
2	वरीय प्रयोगशाला सहायक (तकनीकी)	प्रथम प्रोन्नति स्तर (अराजपत्रित)	प्रयोगशाला सहायक (तकनीकी) के पद पर संबंधित ट्रेड में आठ वर्षों का कार्य अनुभव के साथ मूल कोटि में कार्यरत अवधि में राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान (NITTTR) के द्वारा संचालित न्यूनतम चार सप्ताह का प्रशिक्षण।
3	प्रधान प्रयोगशाला सहायक (तकनीकी)	द्वितीय प्रोन्नति स्तर (अराजपत्रित)	वरीय प्रयोगशाला सहायक (तकनीकी) के पद पर संबंधित ट्रेड में 8 वर्षों का कार्य अनुभव के साथ प्रथम प्रोन्नति के स्तर पर कार्यरत अवधि में राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान (NITTTR) के द्वारा संचालित न्यूनतम चार सप्ताह का प्रशिक्षण।

नोट। - समकक्ष योग्यता के संबंध में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE), नई दिल्ली द्वारा निर्गत Approval Process Hand Book के अनुसूची शीर्षक Major Disciplines, their Corresponding Courses and Relevant/Appropriate Branch of Diploma in Engineering and Technology के अन्तर्गत समकक्ष घोषित पाठ्यक्रम में त्रिवर्षीय डिप्लोमा के अनुसार समकक्षता निर्धारित की जायेगी। अर्हक परीक्षा के प्रमाण पत्र की समकक्षता के संदर्भ में उत्पन्न संशय का निराकरण विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, पटना द्वारा किया जायेगा।

4.2 संवर्ग के विभिन्न कोटि के पदों का वेतनमान/वेतन स्तर वही होगा जैसा समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

5. रिक्तियों की अवधारणा एवं आयोग को इसकी सूचना। - प्रत्येक वर्ष की 1ली अप्रैल से सरकार उस वर्ष के लिए राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों तथा राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों हेतु प्रयोगशाला सहायक (तकनीकी) के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की गणना करेगी एवं उसके अनुसार सीधी नियुक्ति से संबंधित रिक्तियों की अधियाचना आयोग को प्रेषित करेगी।

6. सीधी भर्ती। - संवर्ग के मूल पद अर्थात् प्रयोगशाला सहायक (तकनीकी) के पद पर सीधी भर्ती आयोग की अनुशंसा के आधार पर की जायेगी।

7. चयन प्रक्रिया। - (क) प्रयोगशाला सहायक (तकनीकी) संवर्ग के मूल कोटि प्रयोगशाला सहायक (तकनीकी) के पदों पर नियुक्ति समय-समय पर यथानिर्धारित प्रावधानों के आलोक में आयोग की अनुशंसा से की जाएगी।

(ख) परीक्षा के विषय, पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया का निर्धारण आयोग द्वारा, विभाग के परामर्श से किया जायेगा।

(ग) विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभागान्तर्गत संविदा के आधार पर पूर्व में नियोजित अभ्यर्थियों द्वारा समान पद पर प्रति वर्ष की गई संतोषजनक सेवा के लिए 05 अंक प्रति वर्ष की दर से अधिकतम 25 अंकों की अधिमानता दी जायेगी। 06 माह से ज्यादा एवं 01 वर्ष से कम की अवधि को 01 पूर्ण वर्ष माना जायेगा।

(घ) लिखित परीक्षा में न्यूनतम अहर्ताक प्राप्त अभ्यर्थी को ही विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में कार्यरत संविदा अवधि की अधिमानता (Weightage) दी जायेगी।

8. अभ्यर्थियों की मेधा सूची निम्नवत प्रक्रिया के अनुसार तैयार की जायेगी।

(i) आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की अधिकतम अधिमान्यता 75 प्रतिशत होगी।

नोट:- परीक्षा में प्राप्त अंक की अधिमानता की गणना के लिए परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत में 0.75 से गुणा कर प्राप्त किया जाएगा।

$$\text{अर्थात् अधिमानता अंक} = \frac{\text{परीक्षा में प्राप्त अंक} \times 75}{100}$$

(ii) विभाग में संविदा के आधार पर कार्य करने के निमित्त अधिकतम अधिमान्यता 25 अंक होगी।

(iii) आयोग द्वारा उक्त दोनों (i & ii) में प्राप्त प्राप्तांक को जोड़कर मेधा सूची तैयार की जायेगी एवं संबंधित अभियंत्रण शाखा के पद के लिए निर्धारित आरक्षण कोटि के अनुसार अनुशंसा विभाग को

(iv) संविदा के आधार पर कार्य अवधि का विनिश्चय संबंधित नियंत्रित पदाधिकारी द्वारा निर्गत वेतन भुगतान प्रमाण-पत्र के आधार पर किया जाएगा। इस हेतु आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में अंकित कट ऑफ डेट तक की अवधि की गणना कार्य अनुभव के लिए की जाएगी।

9. परीक्ष्यमान अवधि/विभागीय परीक्षा/प्रशिक्षण।— (i) प्रथम नियुक्ति के उपरांत दो वर्षों तक परीक्ष्यमान अवधि रहेगी, जिसे लिखित रूप से अभिलेखित किए जा सकने वाले कारणों से अगले 01 वर्ष तक के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। परीक्ष्यमान अवधि किसी भी परिस्थिति में तीन वर्षों से अनधिक होगी। विस्तारित अवधि में भी सेवा असंतोषजनक पाए जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। परीक्ष्यमान अवधि सफलता पूर्वक पुरा करने एवं उक्त अवधि में सेवा संतोषजनक होने एवं राजस्व परषद द्वारा संचालित विभागीय परीक्षा एवं निर्धारित कम्प्यूटर सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के उपरांत ही सेवा सम्पुष्ट की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त सेवा सम्पुष्टि हेतु राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर लागू प्रावधानों का पालन आवश्यक होगा।

(2) परीक्ष्यमान अवधि के दौरान विभाग द्वारा विहित प्रशिक्षण कार्यक्रम प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

10. आरक्षण।— इस सेवा में सीधी भर्ती अथवा प्रोन्नति में बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित आरक्षण-रोस्टर से संबंधित प्रावधान लागू होंगे।

11. उम्र सीमा।— संवर्ग में सीधी नियुक्ति हेतु न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष होगी तथा अधिकतम उम्र सीमा वही होगी जैसा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

परन्तु, विभाग के अधीन समान पद पर संविदा के आधार पर कार्यरत रहे अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा संविदा पर किये गये सेवा अवधि के समतुल्य अवधि की छूट दी जायेगी।

12. वरीयता।— निदेशालय प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में इस संवर्ग के प्रत्येक पद के लिए विधिवत नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की वरीयता सूची प्रकाशित करेगा। सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मियों की आपसी वरीयता आयोग की अनुशंसा के मेधा क्रमानुसार निर्धारित की जाएगी। प्रोन्नति के पदों पर वरीयता का निर्धारण प्रोन्नति संबंधी आदेश से निर्धारित होगा। किसी एक आदेश से प्रोन्नत कर्मियों की आपसी वरीयता पिछले पदसोपान के वरीयता क्रम में निर्धारित की जाएगी।

13. प्रोन्नति।— इस संवर्ग के सदस्यों को नियम-4 में उपबंधित प्रावधानों के अधीन बिहार सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आलोक में विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर प्रोन्नति देय होगी। विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा अलग आदेश से किया जाएगा।

14. निर्वचन।— जहाँ इस नियमावली के प्रावधानों के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न हो, वहाँ विभाग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम माना जाएगा और तदनुसार निर्णित होगा।

15. कठिनाईयों का निराकरण।— नियमावली से संबंधित किसी भी कठिनाई का अंतिम निराकरण विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा किया जायेगा।

16. निरसन।— (1) इस नियमावली के आरंभ के पूर्व इससे संबंधित निर्गत सभी नियमावली, संकल्प/परिपत्र एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी पूर्व निर्गत संकल्प/नियमावली/परिपत्र आदि के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गई कार्रवाई, इस नियमावली द्वारा या

इसके अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए किया गया समझा जायेगा, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी, जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य या ऐसी कोई कार्रवाई की गई थी ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-वि०प्रा०(III) स्था०-(नियमावली)-25/2022 3789/पटना, दिनांक:- 11/10/23

प्रतिलिपि:-महालेखाकार बिहार, पटना/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7/प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट, वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी अगले अंक में प्रकाशनार्थ/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग/सभी प्राचार्य, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/सभी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान/सभी प्राचार्य, राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान/सचिव, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, पटना/विभाग के सभी पदाधिकारी/सचिव के आप्त सचिव/आई०टी०मैनेजर (बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु), विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव

GOVERNMENT OF BIHAR
DEPARTMENT OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND TECHNICAL EDUCATION

NOTIFICATION

No. वि०प्रा० (III) स्था०(नियमावली)-25/2022 3789 Patna/Date...11/10/23

In exercise of powers conferred by Article- 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar hereby makes the following Rules for recruitment, promotion and formation of other service conditions of Laboratory Assistant (Technical) Cadre in Govt. Engineering Colleges/Govt. Polytechnic/Govt. Women's Polytechnic Institutions under the Department of Science, Technology and Technical Education:

1. Short Title, Extent and Commencement –

- (i) These rules shall be called “**Govt. Engineering College and Govt. Polytechnic Institute, Laboratory Assistant (Technical) Rules, 2023**”
- (ii) It shall extend to all Govt. Engineering Colleges/Govt. Polytechnic/Govt. Women's Polytechnic Institutions in the state of Bihar under the Department of Science, Technology and Technical Education
- (iii) It shall come into force with immediate effect.

2. Definitions – In these Rules, unless otherwise required in the context :

- (i) ‘Cadre’ means Govt. Engineering College and Govt. Polytechnic Institute, Laboratory Assistant (Technical) Cadre as described in Rule- 4,
- (ii) “Government” means ‘Government of Bihar’;
- (iii) ‘Commission’ means Bihar Technical Service Commission;
- (iv) ‘Directorate’ means the ‘Directorate of Science, Technology and Technical Education ;
- (v) ‘Department’ means ‘Department of Science, Technology and Technical Education ;
- (vi) ‘Committee’ means the ‘Departmental Promotion Committee’ constituted by the Department;
- (vii) ‘Direct Appointment’ means appointment to be made as per recommendation of Bihar Technical Service Commission ;
- (viii) ‘Cadre-Member’ means the person appointed and included in the Govt. Engineering Colleges and Govt. Polytechnic/Govt. Women's Polytechnic Institutions Laboratory Assistant (Technical) Cadre under the provisions contained in these Rules for Bihar Govt. Engineering College/Govt. Polytechnic/Govt. Women's Polytechnic Institutions ;

(ix) 'Appointing Authority' means the Director, Department of Science, Technology and Technical Education ;

(x) 'Vacancy' means the vacancies occurring in a particular year on 1st April by virtue of creation of new posts, superannuation, death, dismissal from service and removal from post.

(xi) 'Year' means 'Financial year, i.e., the period from April 01 to March 31 of the next year' ;

3. 'Sanctioned Strength' :- The sanctioned strength of this cadre shall be determined from time-to-time by the Government ;

4. **Cadre Structure for Govt. Engineering Colleges and Govt. Polytechnic Institutions Laboratory Assistant (Technical) Service Cadre :-**

4.1. The educational and other essential qualifications/eligibility shall be as follows :-

Sl. No.	Designation	Status and Promotion Level	Essential Educational Qualifications/Eligibility
1	2	3	4
1	Laboratory Assistant (Technical)	Basic Grade (Non-gazetted)	<u>Educational Qualification:</u> Three-year Diploma under regular course (Non Distance Mode) in the relevant Branch of Engineering obtained from an Institute approved by AICTE, New Delhi. OR Three-Year Diploma under regular Course (Non Distance Mode) in the relevant or equivalent Branch of Engineering obtained from University or Deemed/Deemed to be University under the provisions of University Grants Commission Act.
2	Senior Laboratory Assistant (Technical)	1 st Promotion Level (Non-gazetted)	8 years' work experience on the post of Laboratory Assistant (Technical) in the relevant Branch with minimum of 04 weeks' training conducted by National Institute of Technical Teachers' Training and Research (NITTTR) during work-tenure in the Basic Grade.
3	Head Laboratory Assistant (Technical)	2 nd Promotion Level (Non-gazetted)	8 years' work-experience in the Branch concerned on the post of Senior Laboratory Assistant (Technical) with minimum of 04 weeks' training from National Technical Teachers' Training & Research (NITTTR) during the work-tenure in the 1 st promotion level

Note : In regard of equivalent qualification, equivalence shall be decided according to 3-year Diploma Course as declared equivalent under Schedule entitled 'Major Disciplines-Their Corresponding Courses and Relevant/Appropriate Branch of Diploma in Engineering and Technology' contained in Approval Process Handbook issued by AICTE, New Delhi. Any doubt arisen in the context of equivalence of concerned passing certificate shall be resolved by the Department of Science, Technology and Technical Education.

- 4.2. The pay scale/pay level at different levels of the Cadre shall remain the same as fixed by the Government from time-to-time.
5. **Concept of Vacancies and Its Information to the Commission** - The Government will calculate every year on 1st April and onwards the vacancies for direct appointment to the post of Laboratory Assistant (Technical) in Govt. Engineering Colleges and Govt. Polytechnic/Govt. Women's Polytechnic Institutions and send requisition of the same vacancies to the Commission.
6. **Direct Recruitment** : Direct recruitment for the Basic post i.e., Laboratory Assistant Technical shall be made as per recommendation of the Commission.
7. **Selection Process** :
 - (a) The appointment to the posts of basic category of Laboratory Assistant (Technical) Cadre shall be made in the light of the provisions as decided by the Department from time-to-time on the recommendation of Commission.
 - (b) The subjects of the Examination, syllabi and process shall be decided by the Commission in consultation with the Department.
 - (c) Weightage of 05 Marks for each year and maximum of 25 marks shall be given to those candidates employed earlier on contractual basis in the Department of Science and Technology for having rendered satisfactory services on the same post. The period of more than six months and less than one year shall be treated as one complete year.
 - (d) Only those candidates who have worked in the Department of Science, Technology and Technical Education shall be given weightage for the contractual service period who obtain minimum qualifying marks in the written Examination.

8. **Preparation of Merit List :**

The Merit-List of candidates shall be prepared by the commission as per under-mentioned process :

(i) The maximum weightage of marks obtained in the Written Test conducted by the Commission shall be 75%.

Note: The percentage of marks obtained in the Examination shall be multiplied by 0.75 for calculation of weightage of obtained marks. That is,

$$\text{Weightage for Marks} = \frac{\text{Marks obtained in the Examination} \times 75}{100}$$

(ii) The maximum weightage for contractual service in the Department shall be of 25 marks.

(iii) The Merit-List shall be prepared by adding together the marks obtained by means of (i) and (ii) above and the vacancies shall be filled as per the decided reservation category concerning the vacant post, in the related Engineering Branch.

(iv) The tenure of work on Contract shall be determined on the basis of Pay Disbursement Certificate issued by the Controlling Officer concerned. For this, the period up to the Cut-off date as mentioned in the advertisement published by the Commission shall be calculated for work experience.

9. **Probation Period/Departmental Examination/Training :**

(i) The first two years following the first appointment shall be the Probation Period which shall be extendable upto the subsequent One (01) year for the reasons worthy of mentioning in the written form. The probation period shall, in no case, be of more than three years. The service shall be confirmed on successful completion of probation-period and satisfactory service during the said period as well as passing the Departmental Examination conducted by the Revenue Board and the decided Computer Competency Examination. Besides it, compliance of the provisions, as implemental by the State Government from time-to-time, shall be mandatory.

(ii) During probation-period, participating in the Training Programme as prescribed by the Department shall be mandatory.

10. **Reservation** : In case of Direct Appointment and promotion in this service, the provisions of Reservation-Roster as decided from time-to-time by the General Administration Department, Govt. of Bihar shall be applicable.
11. **Age-limit** : For Direct Appointment in the Cadre, the minimum age-limit shall be 18 years and the maximum age-limit shall be that as laid down by issuance of directions time to time by the State Government. The relaxation in the maximum age-limit shall be granted to such candidates as have earlier rendered their services on the same post on Contract basis in the Department. The said relaxation shall be equivalent to the contractual work-tenure on the same post in the Department.
12. **Seniority** : The Directorate shall publish every year in the month of April a Seniority-List of each duly appointed and working employee in the Cadre. The relative seniority of the employees appointed through Direct Appointment shall be decided as per the Merit Serial contained in the recommendation of the Commission. The decision of seniority for the posts of promotion shall be executed by means of promotion-related Order. The relative seniority of those promoted employees shall be decided as per the seniority-order of the previous post-structure.
13. **Promotion** : The promotion of the Cadre Members shall be admissible in the light of the decided parameters as laid down under Rule-4, on the recommendation of the Departmental Promotion Committee. The Departmental Promotion Committee shall be constituted by the Department by means of a separate Order.
14. **Interpretation** : As and when any doubt arises regarding the provisions of these rules, the decision taken by the Department in consultation with the Law Department shall be final and be accordingly decided.
15. **Removal of Difficulties** : The final removal of difficulty whatsoever relating to these rules shall be done by the Department of Science, Technology and Technical Education, Govt. of Bihar.



16. **Repeal** : (i) All Notifications/Circulars issued prior to commencement of these rules are hereby repealed.

(ii) Not with standing such repeal, any work done or action taken using the powers conferred by earlier-issued Notification/Circular shall be deemed to have been done using the powers under these rules, as if these rules were in force on date on which any of such work was done or any such action was taken by the Order of the Government of Bihar.

By the Order of the Governor of Bihar


Joint Secretary of Government

Memo No. : वि०प्रा० (III) स्था०(नियमावली)-25 / 2022 3789/Patna Date :...11.10.23

Copy to : Accountant General, Bihar, Patna/Superintendent, Govt. Press, Gulzarbagh, Patna/Incharge, E-Gazette, Finance Dept., Bihar, Patna for information and publication in the next edition of Bihar Gazette. Principal Secretary to Hon'ble Governor/Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister/O.S.D. to Chief Secretary/Principal Secretary, General Administration Department/Finance Dept./Cabinet Secretariat/Secretary, Bihar Technical Service Commission/All Principals, Govt. Engineering Colleges/All Principals, Govt. Polytechnic Institutions/Secretary, State Board of Technical Education, Patna/All Officers of the Department/P.S. to Secretary/I.T. Manager (For uploading on Website), Department of Science and Technology, Bihar, Patna for information and necessary action.


Joint Secretary to Government